न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः—रूक्मणि रियार सिहाग आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः—26 / 2023 विविध(धारा 14 सिक्योरिटाइजेशन)

एक्सिस बैंक लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस—त्रिशूल, समर्थेश्वर मन्दिर के पीछे,इलीस ब्रीज, अहमदाबाद तथा शाखा कार्यालय जी—9, महिमा त्रिनिटी मॉल, स्वेज फार्म जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी पार्थ मदान।

—प्रार्थी

बनाम

1. अलीशेर पुत्र हनीफ खान निवासी—वार्ड नं. 5, 16 डीपीएन रामगढ जिला हनुमानगढ 335504।

—ऋणी

2. हनीफ खान पुत्री / पुत्र / पत्नी नूरी खान निवासी—कुम्हारों का मोहल्ला वार्ड न. 16 डीपीएन रामगढ जिला हनुमानगढ 335504।

—(सहऋणी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

आदेश दिनांकः—07.06.2023

प्रार्थी एक्सिस बैंक लिमिटेड, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी पार्थ मदान शाखा जयपुर की ओर से श्री कृष्ण कुमार मिश्रा वकील उपस्थित आये जिनको सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण को 23,00,000 / —(रूपये तेइस लाख) की ऋण सुविधा ऋण अनुबंध सं. 919030087445134 दिनांक 18.11.2019 को उपलब्ध करायी थी व अप्रार्थी / ऋणीयों / जमानतदारों द्वारा प्राप्त किये गये ऋण की सुविधा के ऐवज में एक सम्पत्ति आवासीय प्लाट पट्टा नं. 47 बुक सं. 21 संकल्प सं. 01 ग्राम पंचायत राजगढ पंचायत समिति व तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ जिसका क्षेत्रफल 4670 वर्गफीट है, को बैंक के पास रहन / बंधक रखा था।

अप्रार्थी / अप्रार्थीगण ने उपलब्ध ऋण को बैंक के साथ किये गये ऋण अनुबन्ध की शर्तों के नियमानुसार नहीं चुकाया जिसकी वजह से दिनांक 01.11.2022 को ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम डिफाल्ट होने पर ऋणी के खाता को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी / अप्रार्थीगण के ऋण खातें में बकाया राशि 28,36,649 / —रूपये (अखरे अठाइस लाख छत्तीस हजार छः सौ उनचास रूपये) दिनांक 09.11.2022 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे बकाया निकलते हैं।

प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत ऋणी / अप्रार्थीगण को दिनांक 09.11.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये। प्रार्थना पत्र दायरी तक अप्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवायी गयी व न ही बंधकशुदा सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया।

ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर—अन्दर ऋण राशि रूपये 2836649 / — रूपये दिनांक 09.11.2022 तक ब्याज शामिल करते हुये तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे जमा करवाना था परन्तु ऋणी व जमानती ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करने पर उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी बैंक उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त रहन शुदा बंधक सम्पति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक

Web Copy - Not Official

द्वारा लिया जाना है। प्रार्थी बैंक को भौतिक कब्जा लेने हेतु पुलिस सहायता दिलाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थी बैंक के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित करना पाया गया। इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि की शर्तों के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत तथा प्रार्थी बैंक के द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी सम्पति आवासीय प्लाट पट्टा नं. 47 बुक सं. 21 संकल्प सं. 01 ग्राम पंचायत रामगढ़ पंचायत समिति व तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (क्षेत्रफल 4670 वर्गफीट) है जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी बैंक को चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 07.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़